

- ✓ संस्था को (1)200 प्रारम्भिक शिक्षा समितियाँ तथा उप समितियाँ गठनाओं को संघर्ष किया जाना विधिवतगामी-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में स्थापित प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित शर्तों को ही प्रवेश दिया जाएगा। शर्तों के बिना लड़ जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्दिष्ट शासनादेशों के अनुसार विभिन्न एवं सम्बद्धा शुल्क तथा अन्य होगा।
- ✓ संस्था को एग्जामिनेटिरीयों से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अभिप्रेतों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्रारम्भिक शिक्षा, 1000 स्तरीय प्रवेश परीक्षा परिषद, 1000 तथा प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, 1000 द्वारा बनाये गये विधियों, विनियमों आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कॉमर्सी पाठ्यक्रम की संख्या यदि पी.बी.ई.आई. नई दिशाने से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल होती है तो इस वर्ष में संस्था चलानेवाली संस्था को होगा और अधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था बाध्य उत्तरदायी होगी। प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, स्तरीय प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रारम्भिक शिक्षा निर्देशक एवं प्रारम्भिक शिक्षा केन्द्र उत्तर प्रदेश शासन को कोई बदलाव किए बिना ही तथा बाध्यवाद के बिना में भी, न्यायलक्ष्य रूप किसी प्रकार की परिवर्तनीय शर्तों प्रदान किया गया जाता है तो संस्था प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कॉमर्सी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को स्तरीय प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु अनुमोदन प्रदान करने के लिये पी.बी.ई.आई. से अनुमोदन प्राप्त कर परीक्षा आयोजित की आवश्यकता होगी प्रस्ताव उन्हें प्रेषित की जायजस्थिति के माध्यम से संस्था संस्था सत्र पर सभी प्रवेशी अनुमति शर्तों प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्दिष्ट परीक्षाएं संकलित नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की चलते सुचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्तर, स्तर, संस्था, एकरचना, इत्यादि दिया जाने वाला शुल्क, सम्बद्धा शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करवाना होगा।
- ✓ संस्था को विज्ञापन-प्रकाशन हेतु छात्रोंका साक्षात्कार उपलब्ध करने के साथ विभिन्न संस्था के संस्था में साक्षात्कार उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित करेंगे कि संस्था में प्रत्यक्ष/सहायक प्रशासक को बताने जाने हेतु निर्देशक समिति को संस्था उपलब्ध करवाये गये अनिलेख भूमि-उत्पन्न, वकील, लक्ष्मण शर्मा के लिये संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम की संचालन में प्रवेश किया जाता है और परिषद को प्रवेश अलग-अलग होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रवेश किसी अन्य कार्य के लिए लाने की है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता संभाला करने वाले को अनुमोदन की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किया जाने संस्था शर्तों का अनुपालन करने की स्थिति में विधानानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



 (राजेश कुमार सिंह)
 सचिव

तृद दिनांक 15-06-2019

सूचना- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2019/1153-2252

प्रतिलिपि- प्रधानाचार्य/निदेशक, सारस्वती डायर एजुकेशन एण्ड टेक्निकल कॉलेज श्री फार्मसी, लखी

मो-अमर, वासपुरी।


 (राजेश कुमार सिंह)
 सचिव

**कार्यालय,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लेखनक।**

संख्या- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक: 15-9-2020

:-कार्यालय द्वारा:-

अधिकांश भारतीय राजकीय शिक्षा परिषद नई दिल्ली/कानूनी कार्यालय और इण्डिया नई दिल्ली द्वारा सैलिक सत्र 2020-21 हेतु विदेशीय भारतीय राजकीय शिक्षा संस्थाओं को अनुसंधान प्रदान किए जाने की उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लेखनक से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अधिकांश प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लेखनक की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सचिवी द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अनुसंधान नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से सम्बद्धता संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पारदर्शक/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य नवीं वर विचार करने हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त को अनुक्रम में सम्बद्धता सचिवी की बैठक के म-3 में विदेशीय इन कानूनी पारदर्शक सम्बद्धता करने वाली पूर्व से सम्बद्धता संस्थाओं का प्रकल्प रखा गया। सम्बद्धता सचिवी द्वारा महान विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

"निजी क्षेत्र में स्थापित विदेशीय इन कानूनी पारदर्शक सम्बद्धता करने वाली संस्थाएँ, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लेखनक से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीसीआईओ द्वारा उन्हें स्वतंत्र अनुसंधान विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीसीआईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुसंधान विस्तार के अनुसार प्रवेश क्षम के समुच्च अधिकांश पारदर्शक/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर सचिवी द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीसीआईओ द्वारा प्रदान अनुसंधान विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को भारत सम्बद्धता सचिवी की बैठक में दिये गये उपरोक्त निर्णय को अनुक्रम में निम्न संख्या को प्राथमिक शिक्षा परिषद, 100 प्रो लेखनक द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित सत्रों के आजीव पारदर्शक एवं प्रवेश अधिकांश प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं. संख्या	संस्था का नाम	पारदर्शक का नाम	पीसीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुसंधान प्रवेश क्षमता	पीसीआईओ / परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुसंधान प्रवेश क्षमता
1	असद भारतीय इंटरनेट एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (एन-एचएल, लखनऊ)।	विदेशीय इन कानूनी	80	80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था पीसीआईओ/पीसीआईओ द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्ण पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमकारी 1962, सेक्टर विनियमकारी-2010 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण सचिवी द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इंग्लिश पारदर्शक हेतु ₹ 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक भारतीय पारदर्शक हेतु ₹ 41,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पारदर्शक (दो वार्षिक भारतीय पारदर्शक के अतिरिक्त) हेतु ₹ 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही आवेक कर/सत्र से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त कर/आवक में शुल्क को सम्बन्ध में समत-समय पर सातान द्वारा निर्यात किये जाने वाले प्रत्येक वर्ष की तारीख में, और तदनुसार आवेकती किये

(Handwritten signature)

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**

संख्या- प्राशिप/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ, दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय ज्ञापन:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैद्धिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार, पाठ्यक्रम, प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मद्दे पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता, सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4892-SARASWATI HIGHER EDUCATION & TECHNICAL COLLEGE OF PHARMACY GAHANI,POST-AYAR VARANASI-221210

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवर्ती 1962, सेमेस्टर विनियमवर्ती-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क, निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/-, प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०-45000.00/-, प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/-, प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनदेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र०) प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना विनियमवर्ती-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संकुलित प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनदेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी स्तर हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधिविधियों/अधिनियमों/शासनदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए अध्याजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करने के साथ रेगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अधिलेख, भूमि, भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जा रहा है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकनुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पु०सं०- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिनिधि-

प्रधानाचार्य/निदेशक SARASWATI HIGHER EDUCATION & TECHNICAL COLLEGE OF PHARMACY GAHANI, POST-AYAR VARANASI-221210


(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव